

विश्वकर्मा भवन प्रथम तल, सचिवालय परिसर देहरादून 248001

प्रेस नोट

1 जनवरी 2025 की आर्हता तिथि के आधार पर नई मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

—मतदाता सूची में 8429459 मतदाता शामिल

6 जनवरी 2025, देहरादून। उत्तराखण्ड में विशेष सक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत 1 जनवरी 2025 की आर्हता तिथि के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने नई मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। प्रदेश में विशेष सक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के सम्बंध में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कॉफ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर 6 जनवरी को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में 8429459 मतदाता शामिल हैं, जिसमें 4364667 पुरुष मतदाता, 4064488 महिला मतदाता एवं 304 थर्ड जेंडर शामिल हैं।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में सर्विस मतदाताओं की संख्या 89812 है जिसमें 87103 पुरुष एवं 2709 महिला सर्विस वोटर शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 11733 पोलिंग स्टेशन हैं जिसमें 3462 शहरी क्षेत्रों में हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 8271 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने विशेष सक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत 1 जनवरी 2025 की आर्हता तिथि के आधार पर विभिन्न आयुवर्ग में दर्ज मतदाताओं की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 18–19 आयुवर्ग में 144400, 20–29 आयुवर्ग में 1627026, 30–39 आयुवर्ग में सबसे अधिक 2267477, 40–49 आयुवर्ग में 1779879, 50–59 आयुवर्ग में 1233140, 60–69 आयुवर्ग में 780598, 70–79 आयुवर्ग में 434870 व 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग में 162069 मतदाता शामिल हैं।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश में वर्तमान में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 83819 है जिसमें 51877 पुरुष, 31938 महिला एवं 4 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इसी प्रकार प्रदेश में 85 वर्ष से अधिक आयु के



विश्वकर्मा भवन प्रथम तल, सचिवालय परिसर देहरादून 248001

68112 मतदाता दर्ज हैं जिसमें 83819 पुरुष, 27905 महिला एवं 2 थर्ड जेंडर शामिल हैं।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि कोई भी नागरिक 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है वह फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस अवसर पर उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, मुक्ता मिश्र, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तुदास उपस्थित रहे।

